मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0(नि0एवं0 गुण0) –03–03/2026- 184 (अनु0) /पटना, दिनांक– 09/01/26

प्रेषक,

ई0 अरविन्द कुमार,
मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

सेवा में,

निबंधित/ ई–मेल

सभी कार्यपालक अभियंता (कार्य प्रमण्डल),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः निर्माण कार्यों पर किये गये कुल व्यय के एक प्रतिशत (1%) की दर से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर (Cess) की कटौती कर निर्धारित लोक लेखा शीर्ष 8443–00–108–0004 के माध्यम से बिहार भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा करायी राशि का वर्षवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः श्रम संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक 557 दिनांक25.09.2019 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11356 दिनांक 18.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि CAG का प्रतिवेदन 'राज्य का वित्त' वर्ष 2022–23 की उप कंडिका– 2.6.2.5 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में किये गये/किये जा रहे निर्माण कार्यों पर देय उपकर (Cess) की वर्षवार कटौती एवं लोक लेखा शीर्ष– 8443–00–108–0004 के माध्यम से कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित खाते में राशि का वर्षवार अन्तरण के संबंध में विहित प्रपत्र "प्रपत्र–क" में प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त के संबंध में विहित प्रपत्र "प्रपत्र–क" में वांछित प्रतिवेदन तथा अनुपालन प्रतिवेदन 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर विभाग को समर्पित करते हुए उक्त प्रतिवेदन की प्रति ई–मेल (ce.constqtycontrwd@gmail.com) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय।

"प्रपत्र–क"

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर की वर्षवार कटौती एवं उनके निर्धारित बैंक खाते में अंतरण का विवरण –

वर्ष	सम्पादित कार्य की राशि	देय उपकर की राशि	कटौति की गयी उपकर की राशि	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में निर्धारित लोक लेखा शीर्ष के माध्यम से अंतरित राशि
01	02	03	04	05

अनु:-यथोक्त

विश्वासभाजन

9/1/26

(अरविन्द कुमार)
मुख्य अभियंता निर्माण एवं
गुणवत्ता नियंत्रण

P.T.O

ज्ञापांक– मु0अ0(नि0एवं0 गुण0) –03–03/2026 - 184 (अनु0) /पटना, दिनांक–09/0

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–1, पटना/ मुख्य अभियंता–2, गया/ मुख्य अभियंता–
भागलपुर/ मुख्य अभियंता–4, पूर्णियाँ/ मुख्य अभियंता–5 मुजफ्फरपुर/ मुर
अभियंता–6, दरभंगा/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/नोड
पदाधिकारी, PMGSY, MMGSY, MMGSUY-RRSMP, MGSY, MR-3054, State Schen
(NABARD), Assistant IT Manager, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण व
कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हे
प्रेषित।

अनु:- यथोक्त

9/1/26

मुख्य अभियंता निर्माण एवं
गुणवत्ता नियंत्रण

ज्ञापांक– मु0अ0(नि0एवं0 गुण0) –03–03/2026 - 184 (अनु0) /पटना, दिनांक–09/01/

प्रतिलिपिः– अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10, 12, 13, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु:- यथोक्त

9/1/26

मुख्य अभियंता निर्माण एवं
गुणवत्ता नियंत्रण

सुरेन्द्र

557
26/09/2019

अनुलग्नक - V

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
नियोजन भवन, चतुर्थ तल्ला, सी–ब्लॉक, बेली रोड, पटना।

आदेश

1. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा–3 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम–3 के अनुसार निर्माण कार्यो पर किये जाने वाले कुल व्यय का एक प्रतिशत (1%) Cess (उपकर) के रूप में कटौती कर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना आवश्यक है।
2. उपकर की राशि की कटौती कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रो से की जाती है। यदि डी0डी0ओ0 चाहें तो प्रत्येक विपत्र से कटौती की गयी उपकर की राशि कोषागार के 8443 00 108 0004 श्रम उपकर शीर्ष में पुस्त अंतरण द्वारा जमा किया जा सकता है। डी0डी0ओ0 माह के अंत में BTC-53 में Online Bill तैयार करेंगे तथा CFMS में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को एक पेयी के रूप में जोड़ा जाएगा तथा उपकर की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित हो जायेगी। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का भारतीय स्टेट बैंक में पोषित चालू खाता का विवरण निम्नवत् है :-

Name of Bank	-	State Bank of India
Branch Address	-	Niyojan Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar
IFSC Code	-	SBIN0018815
Beneficiary Name	-	Dep. OF CESS UN. BUIL. & OT CONT. WOR. WEL. ESS Act 1996 Labour Resourcess Department.
Account No.	-	35059942218
Account Type	-	Current Account
Beneficiary Address	-	Secretary, Bihar Building & Other Construction Workers Welfare Board, Niyojan Bhawan, 4th floor, Block-C Bailey Road, Patna

3. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि विपत्रों से कटौती की गई उपकर राशि उसके बाद के माह के प्रथम सप्ताह में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाता में प्राप्त हो जाये अन्यथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 धारा 8 के अनुसार 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माणं कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत समय पर उपकर जमा नहीं करना दंडनीय है।
4. उपकर राशि अंतरण करने के पश्चात् सभी कार्य विभाग अंतरित की गयी राशि का विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र में सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, नियोजन भवन, चौथा तल्ला, सी–ब्लॉक, बेली रोड, पटना–800001 को उपलब्ध करायेगें।

प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र।

(सुधीर कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

पटना, दिनांक–

ज्ञापांक :– बी.सी.डब्लू.सी.–63 / 2017–18 श्र0सं0–

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पर्यटन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, पटना / कृषि विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना / परिवहन विभाग, पटना / उर्जा विभाग, बिहार, पटना / कल्याण विभाग (समाज कल्याण सहित), बिहार, पटना / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना / खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख –सह– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना / बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 / बिहार राज्य जल पर्षद / पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना / आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, पटना / बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना / बिहार राज्य खेल प्राधिकरण / बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा), सोन भवन, पटना / क्षेत्रीय विकास आयुक्त –सह– अध्यक्ष, सोन कमाण्ड एरिया ड़ेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना / निदेशक –सह– सचिव, नागरिक विमानन विभाग, बिहार, पटना / कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा विभाग), पटना / प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना / सभी नगर आयुक्त / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,

पटना, दिनांक–25.09.2019

ज्ञापांक :– बी.सी.डब्लू.सी.–63 / 2017–18 श्र0सं0– 557

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / ~~अपर मुख्य~~ सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

पत्रांक– 9/सी०ए०जी०–10/2024 11356/वि0, पटना, दिनांक– 18-10-2024

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।
(निर्वाचन, निगरानी, मंत्रिमंडल सचिवालय, उच्च न्यायालय, संसदीय कार्य विभाग, बिहार विधान मंडल एवं खेल विभाग को छोड़कर)।

विषयः– सी०ए०जी० का प्रतिवेदन 'राज्य का वित्त' वर्ष–2022–23 में अंकित उप कंडिका संख्या–2.6.2.5 राज्य के समेकित निधियाँ/लोक लेखा के बाहर निधि के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक लेखा समिति के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में 'राज्य का वित्त' से संबंधित लंबित सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित विभागों द्वारा तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से लोक लेखा समिति को ससमय उपलब्ध कराया जाना है।

2. इसी क्रम में उपर्युक्त अंकित उप कंडिका जो **"भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर"** की राशि की कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में ससमय जमा करने से संबंधित है। इस संबंध में विभिन्न वर्षों में सी0ए0जी0 के प्रतिवेदनों में कंडिका/उप कंडिका के माध्यम से मामले उठाये जाते हैं।

3. उल्लेखनीय है कि नियमानुसार बिहार राज्य अंतर्गत भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध सरकारी और निजी क्षेत्र के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर किये गये कुल व्यय के एक प्रतिशत (1%) की दर से उपकर(Cess) के रूप में कटौती कर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में, राशि का अंतरण सरकार द्वारा निर्धारित लोक लेखा शीर्ष–8443–00–108–0004 के माध्यम से किया जाना है। अर्थात् उपयुक्त लेखांकन की दृष्टिकोण से उक्त उपकर(Cess) की राशि की कटौती कर सर्वप्रथम इस लोक लेखा शीर्ष में जमा करना है। पुनः इस लोक लेखा शीर्ष में जमा किये गये उपकर की राशि को यथाशीघ्र पुस्त अंतरण (Account Transfer) द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में जमा किया जाना है। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग का आदेश ज्ञापांक–557, दिनांक–25.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) प्रासंगिक है। Imp

4. अतः अनुरोध है कि सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में उठाये गये उक्त आपत्ति के आलोक में, अपने विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में किये गये/किये जा रहे निर्माण कार्यों पर देय उपकर(Cess) की राशि की वर्षवार कटौती तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में, लोक लेखा शीर्ष–8443–00 –108–0004 के माध्यम से राशि का वर्षवार अंतरण संलग्न प्रपत्र–"क" में पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर वित्त विभाग को उपलब्ध

कराया जाय, साथ ही साथ इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अनुः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

प्रपत्र-"क"

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर की वर्षवार कटौती एवं उनके निर्धारित बैंक खाते में अंतरण का विवरण

वर्ष	सम्पादित कार्य की राशि	देय उपकर की राशि	कटौती की गई उपकर की राशि	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में निर्धारित लोक लेखा शीर्ष के माध्यम से अंतरित राशि